सी सी आर सी क्या है?

करिमीनल केसिस रिवियू कमिशन को अकसर सी सी आर सी कहा जाता है। इस का स्थापन मुजरमाना केसों पर फिर से विचार करने के लिए किया गया है। यह उन केसों को देखता है जिन के बारे में लोग समझते हों कि उनहोंने वह जुरम नहीं किया जिस का उन पर दोश है, या जिस की उन को सज़ा मिली है। यह उन केसों पर विचार करता है जिन के बारे में की गई अपील पहले ही फेल हो चुकी हो।

अगर सी सी आर सी समझता हो कि किसी केस में लगाए गए दोश ग़लत हैं, या दी गई सज़ा ग़लत है, तो हम उस केस को वापिस अपील कोर्ट में भेज सकते हैं। किसी केस को अदालत में फिर से ताज़ा अपील के लिए भेजने के लिए हमारे लिए यह ज़रुरी होता है कि हमें उस में कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई दे जिस के मज़बूत सबूत हों, या जिस के ऊपर बहस की जा सके, और जिस से केस को अल्ग से देखा जा सके। ऐसा करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और बहुत से केस ऐसे होते हैं जो अपील के लिए नहीं भेजे जा सकते।

सी सी आर सी एक आज़ाद संसथा है। हम अदालतों, पुलीस या कानूनी महकमों के लिए काम नहीं करते। हम उन लोगों के लिए भी काम नहीं करते जो अपने केस हमारे पास रिवियू के लिए भेजते हैं। हम हर तरफ़ से आज़ाद रहते हैं ताकि हम हर केस की निशपक्ष तरीके से छानबीन कर सकें, कि कहीं कोई अन्याए तो नहीं हुया। हम ऐसे केस अपील कोर्ट को भेज सकते हैं जिन में कोई बड़ा सबूत सामने आए, या ऐसा ज़रुरी मसला सामने आए जिस का असर मुजरिम पर लगे दोश और उस को दी हुई सज़ा पर पड़ सकता हो।

सी सी आर सी के मुख्य उदेश्यों में बराबरता को मुख्य रखा जाता है। यह हर सम्भव कोशिश करता है कि अपनी सेवायों में पक्षपात को बाहर रखा जाए। यह ऐसा वातावर्ण पैदा करने के लिए वचनबध है जिस द्धारा अपने स्टाफ़ को बराबरता के अवसर दिए जाएं। सी सी आर सी अपने स्टाफ़ को बराबरता के मसलों के बारे में सिखलाई देने के लगातार अवसर देता रहता है।

सी सी आर सी क्या काम करता है?

हम कुछ ख़ास अदालतों से किसी जुर्म के बारे में लगाए गए दोशों या दी गई सज़ायों की छानबीन करते हैं। इन में मैजिस्टरेट कोर्ट, कराऊन कोर्ट, यूथ कोर्ट, कोर्ट मार्शल या सिविलीयन कोर्ट शामिल होती हैं।

केवल अपील कोर्टें ही किसी दोश या सज़ा को बदल सकती हैं। सी सी आर सी का काम केसों की छानबीन करना और उन को अपील कोर्ट के पास भेजना होता है। हम ऐसा तब ही कर सकते हैं, जब हम को लगे कि इस के लिए हमारे पास ठोस कार्ण हैं। अगर हम कोई केस अपील के लिए भेजते हैं तो अदालत के लिए लाज़मी है कि वो केस को सुने। जब हम कोई केस अदालत को भेजते हैं, तो चाहे अदालत उसे ख़ारिज कर दे, लेकिन वो पहले दी गई सज़ा को बढ़ा नहीं सकती।

हमें केसों की छानबीन करने के लिए ख़ास कानूनी ताकतें दी गई हैं। हम इन ताकतों के प्रयोग से इंगलैंड, वेलज़, और उतरी आइरलैंड की पबलिक और प्राईवेट सन्सथायों से उस केस के लिए ज़रुरी दसतावेज़ ले सकते हैं। इन में केस के बारे में पुलीस, इसतगासा और अदालतों के पास रखी जानकारी शामिल हो सकती है। हम सबूतों का विश्लेशण कर सकते हैं, केस के बारे में नए कानून पढ़ सकते हैं और माहिर साइन्सदानों को निर्देश दे सकते हैं। हम पुराने और नए गवाहों को ढूंढ सकते हैं और उन की इंटरवियू ले सकते हैं।

हम आज़ाद सन्सथा हैं। सी सी आर सी अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकता है कि उस को कौन से दसतावेज़ चाहिएं और उन की कैसे छानबीन करनी है।

हम पुराने केस देख सकते हैं। सी सी आर सी को दी गई अर्ज़ी पर समय की कोई पाबन्दी नहीं होती। बहुत पुराने केसों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन से सम्बन्धित दसतावेज़ हो सकता है पहले ही ध्वस्त किए जा चुके हों।

अगर आप के पास अपना वकील न हो तो भी हम आप का केस देख सकते हैं। अपना केस हमारे पास भेजने के लिए आप के पास वकील का होना ज़रुरी नहीं होता, मगर आप के पास वकील होने से आप की मदद हो सकती है।

हम केस को रोकने वाले आदेशों पर विचार नहीं कर सकते। हम केवल आप पर लगे इलज़ाम या सज़ा के बारे ही विचार कर सकते हैं।

हम दीवानी या प्रवास के केस नहीं देख सकते।

सी सी आर सी के पास कौन अपनी अर्ज़ी भेज सकता है?

कोई भी इनसान जिस को लगे कि उस पर ग़लत दोश लगा है या उस को ग़लत सज़ा हुई है, वो हमारे पास अपना केस भेज सकता है। आप को इन्गलैंड, वेलज़, या उतरी आइरलैंड की किसी अदालत से सज़ा हुई होनी चाहिए। आप हमें आप पर लगे दोश, या मिली सज़ा के बारे में, या दोनों के बारे में रिवियू करने के लिए पूछ सकते हैं। हमारे पास अपनी अर्ज़ी भेजने का आप को कोई ख़र्चा पहीं देना पड़ता।

मैं सी सी आर सी के पास अपना केस कब भेज सकता/ती हूं?

आप को अपना केस हमारे पास तब भेजना चाहिए जब आप ने पहले अपील करने का आम तरीका इसतेमाल कर लिया हो।

आप अपनी अपील करने वाली तिथी गुज़र जाने के बाद भी हमारे पास अपनी अर्ज़ी भेज सकते हैं। अगर आप की अपील ख़ारिज कर दी गई हो, लेकिन फिर भी आप सतझते हों कि आप पर लगा हुया दोश या आप को मिली सज़ा ग़लत है, तो आप को चाहिए कि आप सी सी आर सी पास अपना केस रिवियू के लिए भेजें।

अगर मैने पहले अपील न की हो तो क्या होगा?

यदि आप ने आम विधी से अदालत से अपील न की हो, तो सी सी आर सी आप को लिखेगा कि आप आम तरीके के अनुसार अपनी अपील अदालत को भेजें। सी सी आर सी ऐसे बहुत से कम केसों को लेता है, जो अपनी अपील आम तरीके से करने के बिना ही हमारे पास आ जाते हैं। अगर किसी ख़ास वजह से कोई केस आम अदालत में दायर किए बग़ैर ही हमारे पास आ जाए, तो हम तब ही उस पर ग़ौर करते हैं। हम ऐसे केसों की गिनती ''खास हालातों'' वाले केसों में करते हैं।

अपील करने की विधी के बारे में जानकारी लेने के लिए आप करिमीनल अपील औफिस से 020 7947 6011 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

''खास हालात'' कैसे होते हैं?

ऐसे खास हालात बहुत कम होते हैं। आप के पास ऐसे कोई खास कार्ण होने चाहिएं कि आप ने अपील क्यों नहीं की। इस के इलावा आप के पास यह भी खास कार्ण होना चाहिए कि आप सी सी आर सी की मदद के बिना अपील क्यों नहीं कर सकते। खास हालात अपने आप पैदा नहीं हो जाते। हम हर केस के तथ्यों के आधार पर ही फ़ैसला कर सकते हैं आप के केस में खास हालात मौजूद हैं या नहीं।

कौन से केस ''खास हालातों'' वाले नहीं होते?

यहां कुछ उदाहरणें दी गई हैं जिन्हें हम खास हालातों में नहीं गिनतेः

आप को अपील करना याद नहीं रहा, या आप की अपील करने की तिथी निकल गई है। ऐसी हालत में आप फिर भी अदालत से अपील करने की बिनती कर सकते हैं। ऐसी हालत को ''समय से बाहर अपील करना'' कहा जाता है।

आप के वकील या बैरिस्टर ने आप को सलाह दी हो कि आप को अपील करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी हालत भी आप को अपील करने से नहीं रोक सकती।

आप अपील करने के लिए कोई वकील या बैरिस्टर नहीं ले सके। आप कानूनी मदद के बिना भी अपील कर सकते हैं।

आम अदालत में अपील करने के लिए मैं कहां से पता कर सकता/ती हूं?

अगर आप को करायून कोर्ट की ओर से मुजरिम करार दे कर सज़ा सुनाई गई हो, तो आप को वहां से मिलने वाले एक किताबचे में से इस की सारी जानकारी मिल सकती है, जिस का नाम 'अपीलिन्ग ए कनविकशन और सैंटैंस टू द कोर्ट औफ़ अपील–हैल्प फ़ौर ऐपलीकैंटस' है। आप की जेल की लाइबरेरी में भी इस की एक कापी मिल सकती है। इस के इलावा आप इस की कापी और अपील के लिए अर्ज़ी फ़ौर्म इंटरनैट से भी ले सकते हैं। इस वैबसाईट पर जाएं: to https://www.gov.uk/appeal-against-crown-court-verdict. आप करिमीनल अपील औफ़िस से 020 7947 6011 पर फ़ोन करके भी यह किताबचा और फ़ौर्म ले सकते हैं।

जसटिस नाम की एक चैरिटी के पास भी एक 'हाउ टू अपील' किताबचा होता है। यह चैरिटी करायून कोर्ट के केसों का निपटारा करती है। आप इस के बारे में यहां से पता कर सकते हैं: https://justice.org.uk/ourwork/publications/how-to-appeal.

मैजिसटरेट कोर्ट के केसों के बारे में अपील करने के लिए आप यहां से पता कर सकते हैं: www.gov.uk/appeal-against-sentence-conviction

मैं सी सी आर सी को अर्ज़ी कैसे दूं?

अगर आप की पहली अपील ख़ारिज हो गई हो और अब आप अपना केस सी सी आर सी के पास भेजना चाहते हों, तो आप को चाहिए कि आप अपनी अर्ज़ी सी सी आर सी के फ़ौर्मों पर लिखित रुप में भेजें।

हमारा फ़ौर्म इतना मुश्किल नहीं होता और हम ने इस को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है।

आप अपनी अर्ज़ी ऐसे दे सकते हैं:

- अर्ज़ी फ़ौर्म भर कर
- हमारी वैबसाईट से पी डी ऐफ अर्ज़ी फ़ौर्म परिन्ट करके
- औनलाईन अर्ज़ी फ़ौर्म भर कर

अगर आप हम से सम्पर्क करें तो हम डाक से भी आप को फ़ौर्म भेज सकते हैं। कृप्या हमें या 0121 233 1473 पर फ़ोन से, या इस ईमेल पते पर सम्पर्क करें: info@ccrc.gov.uk

अगर आप अपनी अर्ज़ी कागज़ों पर लिख कर भेज रहे हैं तो उस पर अपने हस्ताक्षर करना न भूलें।

आप के लिए कोई और इनसान भी अर्ज़ी भेज सकता है। लेकिन उस के बाद हम आप से सम्पर्क कर के यह यकीनी बनाएंगे कि आप चाहते हैं कि हम आप के केस का रिवियू करें।

अगर आप औनलाईन फ़ोर्म भरते हैं, तो हमारी ओर से आप को एक ईमेल आएगी जिस में बताया जाएगा कि हमारे पास आप की अर्ज़ी पहुंच गई है। यह ईमेल आप के फ़ौर्म भेजने के 5 कारोबारी दिनों के अन्दर आप को भेजी जाएगी। उस के बाद ईमेल द्वारा आप हमें अपने वो सभी दसतावेज़ भेज सकते हैं जो आप समझते हैं कि आप के केस के लिए हमें मदद कर सकते हैं।

आप औनलाईन अर्ज़ी भरते समय आधी भर कर फिर वापिस भरने के लिए नहीं आ सकते, इस लिए आप को चाहिए कि शुरु करने से पहले पी डी अैफ में दी गई सारी जानकारी को पढ़ लें और सारे ज़रुरी कागज़ात अपने पास रख लें।

याद रखें कि सी सी आर सी के पास आप के केस को कोर्ट में भेजने के लिए बहुत बड़े सबूतों का होना या बहस करने के लिए ख़ास नुकता होना बहुत ज़रुरी है। ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिएं जो पहले अदालत के सामने पेश न की गईं हों।

आप की अर्ज़ी आप के लिए एक और अवसर होता है जब आप हमें बतला सकें कि आप के ख़्याल से आप पर दोश लगने या सज़ा होने में क्या ग़लत किया गया है।

"नया ख़ास सबूत या कानूनी नुकता" क्या होता है?

इन का मतलब वो चीज़ें होती हैं जिन को आप के केस की सुनवाई के समय अदालत के सामने न पेश किया गया हो। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे सबूत हो सकते हैं जो सुनवाई के दौरान सामने न आए हों, या साइंस में अब कोई नया अविशकार हो गया हो जो पहले मौजूद नहीं था। हम ऐसी चीज़ पर ग़ौर नहीं कर सकते जिस के बारे में जियूरी, जॅज या मैजिसटरेट को पहले ही पता हो। आप के मुकदमें के समय मौजूद जानकारी पर हम फिर से विचार नहीं कर सकते, चाहे आप को कितना भी महसूस हो कि आप के केस का फ़ैसला ग़लत किया गया है। हमारे लिए ऐसी नई चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रुरी है जिस से आप का केस पहले से अल्ग दिखाई दे। अगर आप फिर से वही बातें बता रहे हैं जो आप के मुकदमें के दौरान या आप की अपील के दौरान कही गई थीं, तो हम आप की मदद नहीं कर सकेंगे।

सी सी आर सी के लिए बहुत ज़रुरी है कि उस के पास नई और महत्वपूर्ण जानकारी हो जो अपील कोर्ट को आप के केस को किसी अल्ग तरीके से देखने के लिए मजबूर करे। आप के लिए यह बहुत ज़रुरी है कि आप अपनी अर्ज़ी में वो सभी बातें लिखें जो आप समझते हैं कि नई हैं, और जिन से आप के केस में फर्क पड़ सकते हो।

आप मेरे अर्ज़ी फ़ौर्म का क्या करेंगे?

जब हमें आप की अर्ज़ी मिलेगी तो हम आप को लिखेंगे कि इस का आगे क्या किया जाएगा। उस के बाद हम वो सभी दसतावेज़ प्रापत करेंगे जो आप के केस के बारे में हमें चाहिएं, जैसे कि उस अदालत की फाईलें जहां आप पर मुकदमा चला था, या जहां अपील की गई थी। यह फ़ैसला करने से पहले कि हम आप के केस पर ग़ौर कर सकते हैं या नहीं, हमें और दसतावेज़ों की ज़रुरत भी पड़ सकती है। अगर हम यह फ़ैसला करें कि हमें आप का केस देखना चाहिए, तो हम आप को लिख कर इस की सूचना देंगे। परन्तु हम यह भी फैसला कर सकते हैं कि हम आप का केस नहीं देख सकते। जैसे किः

अगर आप की अपील अभी पैंडिन्ग हो।

अगर आप ने आम तरीके से पहले अपील न की हो, और हमारे पास कोई ख़ास कार्ण न हो कि हम आप के केस पर ग़ौर करें। ऊपर देखें, ('अगर मैने पहले अपील न की हो तो क्या होगा?')

अगर आप की अर्ज़ी में कोई ख़ास नए नुकते न उठाए गए हों जिन से हमें लगे कि आप का केस अपील के लिए भेजा जा सके।

अगर हम फ़ैसला करें कि आप के केस पर कोई ऐसी शर्त लागू होती हो, तो हम आप को अपने फ़ैसले के बारे में लिख कर समझाएंगे।

आप मेरे बारे में जानकारी का क्या करेंगे?

अगर आप सी सी आर सी के पास अपनी अर्ज़ी भेजते हैं, तो हम आप के बारे में सारी जानकारी को आप के केस को समझने के लिए इसतेमाल करेंगे। हम इस का प्रयोग कर के दूसरी सन्सथायों से दसतावेज़ लेने की कोशिश करेंगे। इन में आप के बारे में, किसी और इनसान के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो सकती है जिस का असर आप के केस पर पड़ सकता है।

चाहे कोई सन्सथा या इनसान हमें जानकारी न भी देना चाहे, लेकिन हम फिर भी किसी भी किसम के दसतावेज़ ले सकते हैं। जब हम आप के केस को देखना शुरु कर दें, तब हम फ़ैसला करेंगे कि हमें कौन कौन से सबूत चाहिएं। हम अपने पास रखी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। हमारा निशाना केवल वही जारनारी लेने का होता है, जिस की हमें ज़रुरत हो। हम उस जानकारी को उतनी देर ही अपने पास रखने की कोशिश करते हैं जितनी देर तक हमें उस की ज़रुरत हो। हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमने केस के बारे में जानकारी किसी और को कब और कैसे देनी है। यह जानकारी हम तब ही किसी के साथ साझी करते हैं, जब हमें करिमीनल अपील ऐकट 1995 और डेटा प्रोटैकशन ऐकट 2018 इस की इजाज़त दे। जब हम कोई केस अपील के लिए भेजते हैं, तब हम अपील की पूरी जानकारी अर्ज़ी देने वाले के साथ, अपील कोर्ट के साथ और इसतगासा के साथ साझी करते हैं। जब हम आप का केस आगे भेजते हैं, तो हम इस की जानकारी इस केस से पीड़ित इनसान को भी भेजते हैं।

हम आम तौर पर उस केस के बारे में एक छोटा से प्रैस नोट भी जारी करते हैं, जिस में केस और उस के अपील के लिए भेजे जाने के मुख्य्य कार्ण भी बताए जाते हैं। हम अर्ज़ी देने वाले के साथ सम्पर्क करने का बयोरा एक चैरिटी, मिसकैरिज औफ़ जसटिस सुपोर्ट सरविस के साथ भी साझा करते हैं, जो ग़लत ढंग से दोशी करार दिए गए लोगों की मदद कर सकती है।

मेरे केस के बारे में कौन फ़ैसला करेगा?

हमारे कमिशनर यह फ़ैसला करते हैं कि आप का केस अपील कोर्ट को भेजा जाना चाहिए या नहीं। हमारे कमिशनरों के पास तरह तरह की मुहारतें होती हैं। बहुत से कमिशनर कानूनी माहिर होते हैं। उन सब का चुनाव उन के तजुरबों के आधार पर किया जाता है। उन सब के पास पेचीदा मसलों के बारे में महत्वपूर्ण फ़ैसले करने की, सबूतों के आधार पर योग्यता होती है। सभी कमिशनरों की नियुक्तियां प्रधान मन्तरी की सलाह से रानी की ओर से की जाती है।

मेरे केस पर कितनी देर लगेगी?

एक सीधे सादे केस पर कुछ हफते लग सकते हैं। परन्तु पेचीदा केसों पर कई महीने लग सकते हैं।

क्या मुझे लीगल एड मिल सकती है?

आप के केस के लिए लीगल एड स्कीम के तहत फ़न्ड लेने के लिए एक सुलिसिटर आप की मदद कर सकता है। आप सिविल लीगल अडवाईस से 0845 345 4345 पर फ़ोन करके किसी वकील को ढूंढने की मदद ले सकते हैं।

मेरे केस के बारे में सी सी आर सी मेरे साथ बातचीत कैसे करेगा?

बहुत सी दफा हम आप को या आप के प्रतिनिध को पत्र लिखते हैं। अगर आप ने हमें अपना ईमेल पता दिया हुआ हो तो हम डाक की बजाए उस का इसतेमाल करेंगे। जब आप की अर्ज़ी हमारे पास आ जाती है, तो हम हमेशा इस की सूचना आप को देते हैं। आप के केस में जो भी प्रगती हो, हम आप को बताते रहते हैं। हमारे लिए यह बहुत ज़रुरी है कि हमारे पास आप का सही पता हो।

अगर आप का पता या आप की जेल बदल जाए तो हमें बताना न भूलें। हर जेल में हमारे साथ सम्पर्क करने के लिए कुछ रुल बनाए हुए हैं। ये रुल परिज़न सरविस औरडर 4400 में दर्ज हैं। अगर आप को लिखने या पढ़ने में कोई मुश्किल आती हो, तो आप से सम्पर्क करने का हम कोई और रासता निकालेंगे। अगर ज़रुरत हो, तो हम आप के लिए दसतावेज़ दूसरी भाशायों में तरजुमा करवा कर भी दे सकते हैं।

मैं सी सी आर सी से कैसे सम्पर्क कर सकता/ती हूं?

आप सी सी आर सी को फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें पत्र लिखें। हमें हर चीज़ का साफ़ रिकार्ड रखने की ज़रुरत है, ताकि जब हम आप का केस रिवियू करें तो हम उस को देख सकें। सी सी आर सी से सम्पर्क करने का विसतार इस दसतावेज़ के अन्त में दिया गया है।

क्या आप मुझे मिलने आएंगे?

बहुत सी दफा हम सारी जानकारी फ़ोन द्वारा या लिखित रुप में ले सकते हैं। अगर हमें महसूस हो कि हमें आप से आमने सामने बात करने की ज़रुरत है, तो हम विडियो कौनफरन्स का प्रबन्ध कर सकते हैं, या आप को आ कर मिल सकते हैं।

अगर सी सी आर सी मेरा केस अपील के लिए न भेजने का फ़ैसला कर ले, तो क्या होगा?

अगर आप को लगे कि सी सी आर सी ने आप के साथ निश्पक्ष तरीके से आप के साथ वर्ताव नहीं किया, तो आप इस के बारे में रसमी शिकायत कर सकते हैं। हमारी ओर से आप का केस बन्द करने के बाद तीन महीनों के अन्दर आप शिकायत कर सकते हैं। हम देखेंगे कि सी सी आर सी ने आप के साथ कैसे वर्ताव किया था। इस रसमी शिकायत के तरीके अधीन हम आप के केस की दुबारा छानबीन नहीं कर सकते।

अगर आप को लगे कि हमारे फ़ैसला करने के तरीके में कोई ग़लती हुई है, तो आप ऐडमिनिसटरेटिव कोर्ट में अपने केस के जुडिशीअल रिवियू के लिए अर्ज़ी दे सकते हैं। ऐसा करने से पहले आप को हमारे पास इस की शिकायत करने की ज़रुरत नहीं है। आप को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जुडिशीअल रिवियू की कारवाई पर भी समय की पाबंदी होती है। यह काम करने के लिए आप को कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

आप सी सी आर सी के पास अपनी अर्ज़ी दुबारा भी भेज सकते हैं। अगर आप के पास कोई नई जानकारी या सबूत आएं, जो पहली अपील के समय या सी सी आर सी को भेजी गई अर्ज़ी के समय मौजूद नहीं थे, तो आप हमें अपनी अर्ज़ी फिर से भेज सकते हैं। यह बताने के लिए कि आप के पास क्या नया है, आप को अर्ज़ी का नया फ़ौर्म भरना पड़ेगा। आप को हमें यह भी बताना पड़ेगा कि आप की पहली अर्ज़ी में यह सब कुछ शामिल क्यों नहीं किया गया था।

अगर सी सी आर सी मेरा केस रिवियू करता है, तो क्या मेरे देस निकाले पर रोक लग जाएगी?

सी सी आर सी को अर्ज़ी भेजने से आप के देस निकाले पर रोक लगाने का अपने आप कोई अधिकार नहीं मिल जाता। अगर हम आप का केस अपील के लिए भेजते हैं, तो जब तक उस का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक शायद आप के देस निकाले पर रोक लग जाए। अगर आप की अर्ज़ी सी सी आर सी के पास आने के बाद भी आप को देस से निकाल दिया जाता है, तो भी हम आप के केस पर विचार कर सकते हैं। आप को चाहिए कि आप हम को अपना पता और ईमेल ऐडरैस ज़रुर दें।

अगर मैं सी सी आर सी के पास अपनी अर्ज़ी भेजूं तो क्या मेरी सज़ा बढ़ सकती है?

अगर आप अपना केस सी सी आर सी के पास भेजते हैं, तो आप की जेल की सज़ा नहीं बढ़ सकती। अगर हम आप का केस अपील के लिए भेज भी दें, तो भी आप की सज़ा बढ़ाई नहीं जा सकती।

सी सी आर सी कैसे काम करता है, या इस के बारे में और जानकारी मुझे कहां से मिल सकती है?

हमारी वैबसाईट पर बहुत से दसतावेज़ों में सी सी आर सी के बारे में विसतार से जानकारी दी गई है। इन को रसमी नीतियां कहा जाता है। आप इस वैबसाईट पर जा कर इन को डायूनलोड कर सकते हैं: www.ccrc.gov.uk. आप हमें पत्र लिख कर भी ये दसतावेज़ हम से मंगवा सकते हैं।